संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138/11-2018-300(44)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2019**

विषयः- विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-वाराणसी-169(भाग-3)/अधि0आवा0 कालो0, दुर्गाकुण्ड/2018-19/571/वाणिज्य कर, दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से विभागीय अधिकारी आवासीय कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0-188.396 लाख में से धनराशि रु0-103.19 लाख (रुपया एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-8/2019/क0नि0-4-1138(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।